राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश, 1976

[Rajasthan Foodgrains & Other Essential Articles (Regulation of Distribution) Order]

[Pub. in Raj. Gaz. Extra. Pt. IV (C) Dt. 23.11.1976]

खाद्य एवं नागरिक रसद विभाग

जयपुर, 23 नवम्बर 1976

जी.एस.आर. 129: यतः राज्य सरकार की राय है कि खाद्यान्नों और आवश्यक वस्तुओं का प्रदाय बनाये रखने और उचित कीमतों पर उनके समान वितरण और उपलभ्यता को सुनिश्चित करने के लिए ऐसा किया जाना आवश्यक है।

अतः अब भारत सरकार, कृषि एवं सिंचाई मंत्रालय (खाद्य विभाग) के आदेशों जी.एस.आर. संख्या 316 (ई) दिनांक 20 जून, 1972, 452 (ई) दिनांक 25 अक्टूबर 1972 और 168 (ई) दिनांक 13 मार्च 1973 और उद्योग एवं नागरिक रसद मंत्रालय (नागरिक रसद और सहकारिता विभाग) की एस.ओ. संख्या 681 (ई) दिनांक 30.11.1974 के साथ पठित आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का केन्द्रीय अधिनियम 10) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और केन्द्र सरकार की पूर्व सहमति से राज्य सरकार, निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात्:-

भाग–I
(प्रारम्भिक)

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ–

1. इस आदेश का नाम राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश, 1976 है।
2. इसका विस्तार सम्पूर्ण राजस्थान राज्य में है।
3. यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

2. परिभाषाएं–

जब तक सन्दर्भ द्वारा अन्यथा अपेक्षित न हो, इस आदेश में–

(क) '**वयस्क**' से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसने [1][12] वर्ष की आयु पूरी कर ली हो और 'बालक' से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जिसने उक्त आयु पूरी न की हो ;

(ख) '**प्राधिकरण**' से इस आदेश के खण्ड 3 के अधीन जारी किया गया प्राधिकरण अभिप्रेत है;

(ग) '**प्राधिकृत उचित कीमत दुकानदार**' से खण्ड 3 के अधीन प्राधिकृत किसी दुकान का प्रभारी खुदरा विक्रेता अभिप्रेत है और इसमें किसी ऐसी दुकान का प्रभारी (incharge) व्यक्ति भी सम्मिलित होगा, जिस पर खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ विक्रय किये जाते हैं और जो राज्य सरकार के नियन्त्रण के अधीन है;

---

1. जी.एस.आर. 74 दि. 19.08.1994 द्वारा अंक "6" के स्थान पर प्रतिस्थापित।

(घ) '**प्राधिकार–धारक**' से कोई प्राधिकृत थोक विक्रेता या कोई प्राधिकृत उचित कीमत दुकानदार अभिप्रेत है;

(ङ) '**प्राधिकृत अधिकारी**' से जिला मुख्यालय नगरपालिका क्षेत्र के लिए जिला रसद अधिकारी, शेष नगरपालिका क्षेत्र के लिए नगरपालिका बोर्ड का अधिशाषी अधिकारी और ग्रामीण क्षेत्र के लिए विकास अधिकारी और राज्य सरकार [1][x x x x] द्वारा इस प्रकार प्राधिकृत कोई भी अन्य अधिकारी अभिप्रेत है;

(च) '**प्राधिकृत थोक विक्रेता**' से कोई व्यक्ति, फर्म, व्यक्तियों का संगम या कोई सहकारी सोसाईटी या राज्य सरकार अथवा कलक्टर द्वारा इस आदेश के खण्ड 3 के अधीन अभिकर्ता के रूप में प्राधिकृत/नियुक्त कोई भी अन्य संस्था अभिप्रेत है;

[2][(छ)'**कलक्टर**' से राजस्व जिले का कलक्टर अभिप्रेत है और इसमें अपर कलक्टर सम्मिलित है;]

(ज) '**आयुक्त**' से खाद्य आयुक्त अभिप्रेत है और इसमें खाद्य एवं नागरिक रसद विभाग के अपर खाद्य आयुक्त, उप खाद्य आयुक्त सम्मिलित है;

(झ) '**खाद्यान्न**' से अनुसूची– I में विर्निदिष्ट एक अथवा अधिक खाद्यान्न अभिप्रेत है और इसमें चापड और छिलका (bran and husk) छोडकर उसकी कोई भी उत्पाद शामिल है;

(ञ) '**प्ररूप**' से इस आदेश से संलग्न प्ररूप अभिप्रेत है;

(ट) '**धारक**' से राशनकार्ड के मामले में, वह व्यक्ति अभिप्रेत है, जिसका नाम अथवा पदनाम इस प्रकार उस राशनकार्ड पर हो,

(ठ) '**गृहस्थी**' (Household) से [3][कोई ऐसा व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह] अभिप्रेत है, जो सामान्यतः एक ही रसोई घर में तैयार किया हुआ भोजन करते हैं;

(ड़) '**अन्य आवश्यक पदार्थ**' से अनुसूची–II में विनिर्दिष्ट [4][x x x x] कोई वस्तु अभिप्रेत है, जो केन्द्र या राज्य सरकार, यथास्थिति या ऐसी सरकार के किसी प्राधिकारी या अधिकारी द्वारा या निर्माता द्वारा ऐसी वस्तु के संबंध में समय–समय पर नियत कीमत पर राशनकार्ड धारकों को वितरण के लिए राज्य सरकार द्वारा प्रदाय या आवंटित की जाये;

(ढ़) '**अर्हित निवासी**' (Qualified resident) से वह व्यक्ति अभिप्रेत है, जो राजस्थान राज्य का निवासी हो अथवा जिसे स्वयं या गृहस्थी के निमित्त राशनकार्ड प्राप्त करने हेतु राज्य सरकार या कलक्टर के तत्समय प्रवृत्त सामान्य या विशेष आदेशों के अधीन प्राधिकृत किया गया हो;

(ण) '**राशनकार्ड**' से खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक वस्तुओं का प्रदाय प्राप्त करने के लिए इस आदेश के उपबन्धों के अधीन जारी किया गया गृहस्थी कार्ड, अनुज्ञा–पत्र या अन्य दस्तावेज अभिप्रेत है। इस आदेश के प्रारम्भ से पूर्व जारी किया गया या कोई भी कार्ड या अनुज्ञा–पत्र या अन्य दस्तावेज, जिस पर ऐसे प्रारम्भ से तत्काल पूर्व खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ प्राप्य थे, इस आदेश के उपबन्धों के अधीन खाद्यान्न एवं आवश्यक पदार्थ प्राप्त करने हेतु उपलब्ध कराया गया राशनकार्ड समझा जाएगा;

---

1. एस.ओ. 155 दि. 31.12.1982 द्वारा शब्द ''या कलक्टर'' विलोपित।
2. जी.एस.आर. 10 दि. 01.05.1982 द्वारा प्रतिस्थापित।
3. एस.ओ. 163 दि. 28.02.1981 द्वारा प्रतिस्थापित।
4. एस.ओ. 163 दि. 28.02.1981 द्वारा शब्द ''खाद्यान्न'' विलोपित।

(त) '**राज्य सरकार**' से राजस्थान राज्य की सरकार अभिप्रेत है;

(थ) '**अनुसूची**' से इस आदेश से संलग्न अनुसूची अभिप्रेत है;

[1][(द) '**यूनिट**' से वह वयस्क अभिप्रेत है, जो राशनकार्ड पर खाद्यान्न या अन्य आवश्यक पदार्थ पाने का हकदार है एवं आधी यूनिट से वह बालक अभिप्रेत है जो राशनकार्ड पर वयस्क को देय मात्रा की आधी मात्रा में खाद्यान्न या अन्य आवश्यक पदार्थ पाने का हकदार है।]

भाग–II
(प्राधिकार)

3. प्राधिकार जारी करना–

[2][(1) कलक्टर या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत या अन्य कोई अधिकारी किसी भी व्यक्ति को, उसमें विनिर्दिष्ट क्षेत्र में, खाद्यान्नों एवं अन्य आवश्यक वस्तुओं की प्राप्ति और प्रदाय के लिए प्राधिकृत थोक विक्रेता/उचित कीमत दुकानदार होने का प्राधिकार जारी कर सकेगा।

[3][**परन्तु** राजस्थान पंचायती राज संस्था या स्थानीय निकाय के किसी सदस्य या किसी लोक सेवक को इस आदेश के अधीन प्राधिकृत थोक विक्रेता/उचित कीमत दुकानदार के रूप में कोई प्राधिकार प्रदान नहीं किया जायेगा और न ही वह उसे धारण करने का या धारण करना जारी रखने का हकदार होगा।]

टिप्पणी

आरटीएल आदेश 1980 के अन्तर्गत नीले केरोसीन के पीडीएस वितरण हेतु अनुज्ञप्ति धारकों को विभागीय निर्देश दिनांक 28.11.2002 से अनुज्ञापत्र समर्पित कर केवल नीले केरोसीन हेतु प्राधिकार पत्र जारी किये जाने के निर्देश दिये गये है।

(2) प्राधिकार धारक के अतिरिक्त कोई भी व्यक्ति इस आदेश या किसी भी अन्य आदेश के अधीन वितरण के लिये सरकार द्वारा प्रदाय किये गये खाद्यान्नों या अन्य आवश्यक वस्तुओं का विक्रय नहीं करेगा।

(3) प्राधिकार के लिये प्रत्येक आवेदन प्ररूप 'क' में कलक्टर को प्रस्तुत किया जायेगा।

(4) इस आदेश के अधीन जारी किया गया प्रत्येक प्राधिकार प्ररूप 'ख' में होगा।

स्पष्टीकरण– इस आदेश के प्रारम्भ होने पर प्रत्येक व्यक्ति, जो सरकार या कलक्टर या इस निमित्त प्राधिकृत किसी भी अन्य अधिकारी द्वारा प्राधिकृत थोक विक्रेता या प्राधिकृत उचित कीमत दुकानदार या अन्य समरूप पदनाम के रूप में नियुक्त या अनुमोदित किया गया था, इस आदेश के प्रयोजनार्थ इस आदेश के प्रारम्भ की तारीख से 3 माह तक की कालावधि, या पूर्वतर के लिए प्राधिकृत थोक विक्रेता/उचित कीमत दुकानदार समझा जाएगा, यदि इस खण्ड के अधीन प्राधिकार प्राप्त कर लिया गया हो।

---

1. जी.एस.आर. 74 दि. 19.08.1994 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. जी.एस.आर. 10 दि. 01.05.1982 द्वारा प्रतिस्थापित।
3. एस.ओ. 350 दि. 21.02.1998 द्वारा जोड़ा गया।

[1][(5) इस आदेश के अधीन जारी प्रत्येक प्राधिकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2001 के प्रयोजनार्थ एक प्राधिकार भी समझा जायेगा और प्रत्येक ऐसा प्राधिकार धारक, जिसे इस आदेश के अधीन प्राधिकार जारी किया गया है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2001 के समस्त उपबन्धों का अनुपालन करेगा।]

टिप्पणी

सहकारी समितियाँ, जिन्हें एक से अधिक उचित मूल्य दुकान शहरी या ग्रामीण क्षेत्र में एक ही नाम से आवंटित है, को भिन्न-भिन्न प्राधिकार पत्र के स्थान पर एक ही प्राधिकार पत्र से कार्य करने की अनुमति विभागीय पत्र क्रमांक 17(8) एफ.एस. लीगल 1/77 दि. 16.05.1977 व 26.10.1977 द्वारा दी गई है।

4. प्राधिकार की दूसरी प्रति का जारी किया जाना–

यदि प्राधिकार खो गया हो, विरूपित हो गया हो या नष्ट हो गया हो, तो कलक्टर ऐसी जांच करने के पश्चात्, जो वह उचित समझे, ऐसे प्राधिकार की दूसरी प्रति रूपये 2/- फीस का संदाय करने पर जारी कर सकेगा।

[2][**5. प्रतिभूति का निक्षेप–**

प्रत्येक प्राधिकार धारक इस आदेश के उपबन्धों के सम्यक् अनुपालन के लिए कलक्टर को प्रतिभूति के रूप में ऐसी रकम का नकद निक्षेप करेगा जो नीचे विनिर्दिष्ट हैः-

(क) प्राधिकृत थोक विक्रेताः-

(i) जिला स्तर पर 25,000/- रूपये

(ii) तहसील स्तर पर प्रथम तहसील के लिए 10,000/- रूपये और 25,000/- रूपये अधिकतम के अध्यधीन रहते हुए, प्रत्येक अन्य तहसील के लिए 2,500/- रूपये

(ख) प्राधिकृत उचित मूल्य दुकानदार- 1,000/- रूपये

परन्तु यदि प्राधिकार धारक राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम, 2001 के अधीन रजिस्ट्रीकृत कोई सहकारी सोसायटी है तो उसके द्वारा जमा कराये जाने वाली प्रतिभूति की रकम क्रमशः उपर्युक्त पैरा (क) और (ख) में वर्णित रकमों के एक-चौथाई के बराबर होगी।

स्पष्टीकरण– कलेक्टर के साथ किसी प्राधिकार धारक द्वारा निष्पादित किसी करार के अधीन प्रतिभूति के रूप में निक्षिप्त कोई राशि, जो ऐसे प्रारम्भ के ठीक पूर्व प्रवृत्त था, इस खण्ड के अधीन अब निक्षिप्त किये जाने के लिए अपेक्षित प्रतिभूति का भाग समझी जायेगी।]

6. प्राधिकार के निबन्धनों और शर्तों का अनुपालन–

प्रत्येक व्यक्ति, जिसे इस आदेश के अधीन प्राधिकार जारी किया गया है, ऐसे प्राधिकार के निबन्धनों और शर्तों का अनुपालन करेगा।

7. अभिकरण के अन्तरण पर निषेध–

कोई भी प्राधिकारधारक इस प्रकार अपने अभिकरण (agency) को किन्हीं भी उपायों से, किसी भी अन्य व्यक्ति को उप-पट्टे (sublet) पर नहीं देगा, न ही अन्तरण (transfer) करेगा और कोई भी व्यक्ति ऐसे प्राधिकार धारक के निमित्त अन्तरिती (transteree) के रूप में अथवा अन्यथा कारबार नहीं करेगा।

---

1. एस.ओ. 209 दि. 29.09.2001 द्वारा जोड़ा गया।
2. एस.ओ. 143 दि. 29.08.2005 द्वारा प्रतिस्थापित।

टिप्पणी – खण्ड 7

खाद्य विभाग द्वारा वयोवृद्ध (65 वर्ष से अधिक) एवं विकलांग तथा विधवा प्राधिकारियों को सहायक की व्यवस्था के सम्बन्ध में पत्र क्रमांक एफ. 97(8) खा.वि./सा.वि.प्र./2000 जयपुर, दिनांक 07.05.2001 द्वारा समस्त जिला कलेक्टरों को निर्देश दिए है।

[1][8. प्राधिकार के निलम्बन और रद्दकरण की शक्तियाँ–

(1) यदि कोई प्राधिकारधारक या उसके निमित्त कार्य करने वाला कोई व्यक्ति इस आदेश के किसी भी उपबन्ध तथा प्राधिकार की किसी भी शर्त का उल्लंघन करता है, तब आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का केन्द्रीय अधिनियम 10) के अधीन उसके विरूद्ध की जाने वाली किसी भी अन्य कार्यवाही पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना उसका प्राधिकार कलक्टर या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी द्वारा लिखित में दिये गये आदेश से निलम्बित या रद्द (suspension or cancellation) किया जा सकेगा तथा ऐसे निलम्बन या रद्दकरण के संबंध में उसके प्राधिकार में प्रविष्टि की जायेगी।

(2) इस आदेश के अधीन रद्दकरण का कोई भी आदेश तब तक नहीं किया जायेगा, जब तक कि प्राधिकारधारक को प्रस्तावित रद्दकरण के विरूद्ध अपना पक्ष कथन रखने का एक युक्तियुक्त अवसर प्रदान न कर दिया गया हो, लेकिन प्राधिकारधारक की कार्यवाहियों के लम्बित रहने के दौरान या उनकी प्रत्याशा (in contemplation) में, 90 दिवस से अनधिक कालावधि के लिए प्राधिकार को निलम्बित किया जा सकेगा।]

9. निक्षेप प्रतिभूति का समपहरण–

(1) खण्ड 8 के उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, यदि कलक्टर [2][या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी] को समाधान हो जाये कि प्राधिकारधारक ने इस आदेश के किसी उपबन्ध का उल्लंघन किया है और कि निक्षेप प्रतिभूति (deposit security) के समपहरण को मांगा गया है, वह प्रस्थापित समपहरण (proposed forfetiure) के विरूद्ध उसे सुनवाई का एक अवसर प्रदान करने के पश्चात् लिखित आदेश द्वारा उसके द्वारा निक्षिप्त प्रतिभूति की सम्पूर्ण रकम या उसके किसी भाग का समपहरण कर सकेगा और समपहरण का आदेश प्राधिकार धारक को संसूचित (communicated) किया जाएगा।

(2) प्राधिकार धारक, यदि किसी भी समय प्रतिभूति की रकम खण्ड (5) में विनिर्दिष्ट रकम से किसी भी समय कम पडे, तो उस कमी को पूरा करने के लिए कलक्टर द्वारा अपेक्षा किए जाने पर, तुरन्त प्रतिभूति की और रकम निक्षिप्त करायेगा।

(3) इस आदेश के अधीन दायित्वों (obligations) का प्राधिकार धारक द्वारा सम्यक् रूप से पालन किए जाने पर निक्षेप प्रतिभूति की राशि या उसका ऐसा भाग, जिसका यथा पूर्वोक्त समपहरण नहीं किया गया है, ऐसे प्राधिकार की समाप्ति के पश्चात् प्राधिकार धारक को लौटा दी जाएगी।

1. जी.एस.आर. 10 दि. 01.05.1982 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. एस.ओ. 155 दि. 31.12.1982 द्वारा जोड़ा गया।

टिप्पणी – खण्ड 9

1. *खण्ड 8 में प्राधिकार के निलम्बन एवं रद्दकरण की शक्तियां निहित है। निलम्बन अथवा रद्दकरण के बिना नियंत्रित मूल्य वस्तुओं का प्रदाय अकारण रोकने के प्रावधान नहीं है।*
2. *खण्ड 8 व 9 के अन्तर्गत राज्य के सभी जिला रसद अधिकारियों को उनकी अपनी-अपनी अधिकारिता क्षेत्र के लिए तथा खाद्य विभाग (मुख्यालय) पर पदस्थापित जिला रसद अधिकारी को समस्त राज्य के लिए और समस्त उपखंड अधिकारियों (जिला मुख्यालय के अतिरिक्त) को उनकी अपनी-अपनी अधिकारिता क्षेत्र के लिये अधि. एस.ओ. 162 दिनांक 17.01.2012 द्वारा तथा राज्य के समस्त अतिरिक्त जिला रसद अधिकारियों को अधि. एस.ओ. 72 दिनांक 13.07.1993 द्वारा शक्तियां दी गई है। इसी प्रकार जिला रसद अधिकारी सतर्कता संभागीय आयुक्त कार्यालय को उनकी अपनी-अपनी अधिकारिता क्षेत्र के लिये अधिसूचना दिनांक 20.05.2014 द्वारा अधिकृत किया गया है।*
3. *अधि. एस. ओ. 400 दिनांक 25.02.2004 में खण्ड 8 व 9 के अन्तर्गत जिला रसद अधिकारियों के साथ सभी एस.डी.ओ. (जिला मुख्यालय के अतिरिक्त) शक्तियाँ प्रदत्त की थी, किन्तु इस अधिसूचना को एस. ओ. 4 दिनांक 24.09.2004 से उक्त अधिसूचना अधिक्रमित किया जाकर यह शक्तियाँ राज्य के सभी जिला रसद अधिकारियों को उनकी अपनी-अपनी अधिकारिता क्षेत्र के लिए तथा खाद्य विभाग (मुख्यालय) पर पदस्थापित जिला रसद अधिकारी को समस्त राज्य के लिए ही दी गयी थी अर्थात् खण्ड-8 व 9 के अन्तर्गत शक्तियों के प्रयोग के सम्बन्ध में समस्त उपखंड अधिकारियों का उल्लेख नहीं किया जाकर उपखंड अधिकारियों को खण्ड-8 व 9 की शक्तियों के प्रयोग करने के सम्बन्ध में वर्जित किया गया किन्तु अधिसूचना एस.ओ. 162 दिनांक 17.01.2012 से अधिसूचना दिनांक 02.09.2004 को अधिष्ठित करते हुए समस्त उपखण्ड अधिकारियों को जिला मुख्यालय के अतिरिक्त उनकी अधिकारिता क्षेत्र में खण्ड 8 व 9 के तहत शक्तियाँ दी गयी हैं।*
4. *आदेश संख्या एफ 17(45) खा.वि./सा.वि.प्र. 76 II जयपुर दिनांक 16.06.2000 व 08.05.2001 तथा 15.06.2006 से 90 दिवस की अवधि पूर्ण होने पर निलम्बन काल की अवधि आवश्यक रूप से समाप्त माने जाने के निर्देश जिला रसद अधिकारियों को दिए गए है। आदेश दिनांक 08.05.2001 में निलम्बन अवधि समाप्त होने के पश्चात् भी डीलर को आवश्यक वस्तुओं का प्रदाय नहीं किया जाना अनुचित माना है।*

भाग–III
राशनकार्ड

10. राशनकार्ड तैयार करना–

प्राधिकृत अधिकारी, स्वयं के प्रस्ताव पर या किसी अर्हित (qualified) निवासी द्वारा उसको किए गए किसी आवेदन पर स्वयं ऐसे निवासी को उसके लिए और उसकी गृहस्थी, यदि कोई हो, के लिए ऐसे प्ररूप में और ऐसी फीस का संदाय करने पर, जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर नियत की जाये, राशनकार्ड जारी करेगा या करायेगाः

परन्तु यह कि ऐसा कोई भी कार्ड किसी भी व्यक्ति को परिदत्त नहीं किया जाएगा, जब तक कि ऐसा व्यक्ति या उसके परिवार का कोई भी वयस्क सदस्य, जिसको वह दस्तावेज उसके निमित्त दिया जाता है, ऐसा दस्तावेज परिदत्त करने वाले अधिकारी द्वारा यथा अपेक्षित ऐसे दस्तावेज की प्राप्ति के प्रमाण स्वरूप रसीद पर हस्ताक्षर न करें।

11. राशनकार्ड की विषय वस्तु–

अन्य विशिष्टियों के अतिरिक्त, राशनकार्ड में राशनकार्ड धारक का नाम और पता, गृहस्थी के व्यक्तियों की संख्या और उस उचित कीमत दुकानदार का नाम या कोई अन्य निर्देश जिससे राशनकार्ड धारक खाद्यान्न और अन्य आवश्यक पदार्थ खरीदने का हकदार है।

12. राशनकार्डो के संशोधन आदि–

(i) प्राधिकृत अधिकारी किसी भी समय चाहे उस व्यक्ति के आवेदन पर जिसे राशनकार्ड जारी किया है या स्वप्रेरणा से, ऐसी जांच करने के पश्चात् जो आवश्यक समझी जाये, राशनकार्ड में परिवर्धन, संशोधन, फेरफार कर सकेगा, उसे निलम्बित अथवा रद्द (add, amend, vary, suspend or cancel) कर सकेगा।

(ii) जहां कोई भी राशनकार्ड, इस प्रकार रद्द कर दिया गया हो, कोई भी व्यक्ति, जिसके कब्जे में वह है, इसे तुरन्त प्राधिकृत अधिकारी को समर्पित कर देगा।

टिप्पणी

राज्य सरकार द्वारा विभिन्न आदेशों द्वारा कतिपय स्थानों हेतु तहसीलदारों को, जिला मुख्यालय नगर पालिका क्षेत्र के लिये जिला रसद अधिकारियों को उनकी अपनी–अपनी अधिकारिता क्षेत्र के लिये, जिला मुख्यालय नगर पालिका क्षेत्र के लिए राशन कार्डों में नाम जोड़ने या हटाने सम्बन्धी कार्य हेतु प्रवर्तन अधिकारियों / प्रवर्तन निरीक्षकों को, जयपुर, अजमेर, बीकानेर, जोधपुर, कोटा व उदयपुर के प्रवर्तन अधिकारियों को अपने–अपने जिला मुख्यालय के नगर पालिका क्षेत्र में राशनकार्ड जारी करने हेतु, नगर प्रशासक खेतड़ी नगर, झुँझुनूँ को खेतड़ी नगर, कोलीहान नगर व चाँदमारी क्षेत्र के लिये भिन्न–भिन्न आदेशों से द्वारा अधिकृत किया गया जिसे इस अध्याय के अंत में दी गयी तालिका में देखा जा सकता है।

13. अधिमान्य राशनकार्डो का प्रस्तुतीकरण और उनका कब्जे में रखा जाना–

(i) कोई भी राशनकार्ड धारक चाहे स्वयं अथवा किसी व्यक्ति के माध्यम से साशय ऐसा राशनकार्ड प्रस्तुत नहीं करेगा, जिसे वह जानता है या उसके वह विश्वास करने का कारण है कि इसमें ऐसी यूनिटें सम्मिलित है, जिनके लिए वह इस आदेश (जिसे इसमें इसके पश्चात् इस आदेश में अविधिमान्य (invalid) राशनकार्ड कहा गया है) के अधीन खाद्यान्न अथवा अन्य आवश्यक पदार्थ विधिपूर्वक प्राप्त करने का या विधिमान्य राशनकार्ड प्रस्तुत करने पर उस परिणाम से अधिक खाद्यान्न या अन्य आवश्यक पदार्थ प्राप्त करने का हकदार नहीं है, जिसके क्रय के लिए ऐसा राशनकार्ड प्रस्तुतीकरण के समय विधिमान्य है।

(ii) कोई भी राशनकार्ड धारक अपने कब्जे में कोई भी अविधिमान्य राशनकार्ड नहीं रखेगा।

14. राशनकार्ड आदि के लिए बेईमानी से आवेदन करने के विरूद्ध निषेध–

कोई भी व्यक्ति–

क. राशनकार्ड के लिए बेईमानी से आवेदन नहीं करेगा या प्राप्त करेगा, यदि वह जानता है या उसके यह विश्वास करने का कारण हो कि उसका नाम किसी गृहस्थी को जारी किए गए किसी राशन कार्ड में पहले ही सम्मिलित किया जा चुका है;

ख. मिथ्या सूचना प्रस्तुत कर राशनकार्ड प्राप्त नहीं करेगा, बिना विधिपूर्ण प्राधिकार के उसको जारी किया गया राशनकार्ड परिवर्तित या नष्ट नहीं करेगा;

ग. विधिपूर्ण प्राधिकार के बिना उसे जारी किए गए राशनकार्ड में न तो कोई परिवर्तन करेगा, न उसे नष्ट करेगा।

15. व्यक्तियों की संख्या में परिवर्तन के बारे में रिपोर्ट–

प्रत्येक राशनकार्ड धारक अपने राशनकार्ड में हुई कमी की रिपोर्ट एक पखवाडे के भीतर प्राधिकृत अधिकारी को देगा, चाहे यह कमी स्थायी आधार पर हो 3 माह से अधिक की कालावधि के लिए।

16. खो जाने आदि पर राशनकार्ड की दूसरी प्रति जारी करना–

कोई भी व्यक्ति, जिसे राशनकार्ड जारी किया गया है, उसके खोने, नष्ट होने या विरूपित होने के सबूत पर, प्राधिकृत अधिकारी को, उसके आवेदन पर समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा विहित फीस का संदाय करने पर दिया जा सकेगा। प्रत्येक व्यक्ति, जिसे नया राशनकार्ड दिया गया है, यदि बाद में उसे खोया हुआ राशनकार्ड मिल जाये, तो पश्चात्वर्ती राशनकार्ड को प्राधिकृत अधिकारी को तुरन्त लौटा देगा।

टिप्पणी

जांच के दौरान निरीक्षण अधिकारी द्वारा सबूत के रूप में उपभोक्ताओं के राशनकार्ड कब्जे में लिये जाने पर जब्तशुदा राशनकार्ड एवज में अस्थायी राशनकार्ड बनाकर देने पर ऐसे कथित अस्थायी राशनकार्ड्स को अधिसूचना एस. ओ. 111 दिनांक 28.09.1989 से आदेश के खण्ड 16 के तहत विहित फीस से मुक्त किया गया है।

17. अविधिमान्य राशनकार्ड के उपयोग पर प्रतिबन्ध–

(1) कोई भी व्यक्ति, ऐसा कोई निरंक (blank) राशनकार्ड या कोई सील (seal) या मोहर (stamp) का विनिर्माण, तैयारी, मुद्रण नहीं करेगा या अपने कब्जे में नहीं रखेगा, जिसका अवधिपूर्ण (unlawful) राशनकार्डों की तैयारी के लिए उपयोग किया जाता हो या किया जाने की संभावना हो या ऐसे कार्डों का खाद्यान्न और अन्य आवश्यक पदार्थ प्राप्त करने के लिए उपयोग नहीं करेगा।

(2) कोई भी व्यक्ति जानते हुए अविधिपूर्ण राशनकार्ड की प्राप्ति या उपयोग अथवा उसकी प्राप्ति एवं उपयोग में किसी भी सहायता या विधिमान्य राशनकार्ड के अलावा किन्हीं भी खाद्यान्नों अथवा अन्य आवश्यक पदार्थो की प्राप्ति या प्राप्ति में सहायता नहीं करेगा।

(3) कोई भी लोकसेवक जानबूझकर (willfully) या जानते हुए किसी भी व्यक्ति को अविधिमान्य राशनकार्ड जारी या जारी करने में सहायता नहीं करेगा।

18. राशनकार्ड सरकार की सम्पत्ति रहेगें–

इस आदेश के अधीन जारी प्रत्येक राशनकार्ड राज्य सरकार की सम्पत्ति होगी परन्तु वह व्यक्ति, जिसे इस आदेश के उपबन्धों के अधीन यह जारी या समर्पित किया गया है या जिसके पास यह रखा गया है, इसकी निरापद अभिरक्षा (safe custody) का हकदार और उत्तरदायी होगा।

19. राशनकार्ड के अन्तरण पर निषेध–

कोई भी व्यक्ति उसे जारी किये गये राशनकार्ड का किसी भी अन्य व्यक्ति को अन्तरण नहीं करेगा और कोई भी व्यक्ति, इस आदेश के उपबन्धों के अधीन या अनुसार के सिवाय ऐसे राशनकार्ड को प्राप्त, उसका उपयोग या व्ययन (dispose) नहीं करेगा।

[1][19क. राशनकार्ड धारकों द्वारा आदेशों या निदेशों की अनुपालना करने का दायित्व–

प्रत्येक राशनकार्ड धारक उन आदेशों या निदेशों की अनुपालना करेगा, जो जन वितरण प्रणाली के अधीन उचित मूल्य दुकानों से खाद्यान्नों तथा अन्य आवश्यक वस्तुओं को प्राप्त करने के हक के संबंध में समय-समय पर राज्य सरकार या कलक्टर द्वारा जारी किये जायें।]

टिप्पणी

(1) अधि. एस. ओ. 14 दिनांक 25.04.1992 व एस. ओ. 33 दिनांक 06.05.1993 से आयकर दाता राशनकार्ड धारक को एफ.पी.एस. से अपने राशनकार्ड पर गेहूँ व चावल तथा लेवी चीनी प्राप्त न करने के निर्देश खण्ड-20 के अन्तर्गत दिए गये है।

(2) एस. ओ. 34 दिनांक 06.05.1993 से एलपीजी गैस के डी.बी.सी. धारकों को एफपीएस से अपने राशनकार्ड पर केरोसीन तेल प्राप्त न करने के निर्देश खण्ड-20 के अन्तर्गत दिए गये है।

1. जी.एस.आर. 35 दि. 27.11.1992 द्वारा अंतःस्थापित।

भाग–IV
प्रकीर्ण

20. खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थों के क्रय/विक्रय/वितरण के संबंध में निर्देश जारी करने की शक्ति–

प्रत्येक प्राधिकार धारक, अनुज्ञा–पत्रों, राशनकार्डों अथवा अन्यथा पर खाद्यान्नों और अन्य आवश्यक पदार्थों के क्रय, विक्रय, विक्रय के लिए भण्डारकरण, वितरण और व्यसन तथा उस रीति, जिसमें कि उसके लेखे रखे जाएगें और विवरणियां (return) प्रस्तुत की जाएंगी, के संबंध में राज्य सरकार या कलक्टर द्वारा समय–समय पर दिये गये सामान्य या विशेष निर्देशों का पालन करेगा।

टिप्पणी

(1) अधि. एस.ओ. 14 दिनांक 25.04.1992 व एस. ओ. 33 दिनांक 06.05.1993 द्वारा उचित मूल्य दुकानदारों को सभी आयकर दाता राशनकार्ड धारकों को गेहूँ, चावल तथा लेवी चीनी विक्रय नहीं करने के निर्देश दिए है।

(2) अधि. एस.ओ. 34 दिनांक 06.05.1993 द्वारा सभी उचित मूल्य दुकानदारों को एलपीजी के सभी डी.बी.सी. धारक उपभोक्ताओं को केरोसीन तेल का विक्रय नहीं करने के निर्देश दिए है।

(3) विभागीय आदेश दिनांक 20.04.1992 से सभी उचित मूल्य दुकानदारों को स्थानीय विधायक/सांसद को वितरण व्यवस्था, राशनकार्ड व लेखे आदि की जांच करने हेतु प्राधिकृत किया है व जिला कलक्टर तथा जिला रसद अधिकारी वितरण व्यवस्था की जांच करने में आवश्यक सहयोग प्रदान करने के निर्देश दिए है।

(4) विभागीय आदेश दिनांक 21.03.2001 से सभी उचित मूल्य दुकानदारों को वितरित की गई समस्त वस्तुओं के वितरण रजिस्टर सतर्कता समिति सदस्यों से प्रमाणितशुदा व स्वप्रमाणित कर एक वर्ष की अवधि तक दुकान पर सुरक्षित रखने के निर्देश है। तीन माह का एक वितरण रजिस्टर बनाने की अनुमति भी दी है।

21. अनुसूची में संशोधन–

राज्य सरकार, केन्द्र सरकार की [1][पूर्व] सहमति से, राज–पत्र में अधिसूचित आदेश द्वारा अनुसूची–I और II में कोई भी खाद्यान्न अथवा अन्य आवश्यक पदार्थ जोड़ सकेगी या लोपित कर सकेगी और तदुपरि [2][अनुसूचियां] तदनुसार संशोधित समझी जाएगी।

22. अपील–

(1) इस आदेश के अधीन किसी भी अधिकारी द्वारा दिये गये किसी आदेश द्वारा व्यथित कोई भी व्यक्ति–

(क) यदि आदेश कलक्टर के रैंक से नीचे के किसी भी अधिकारी द्वारा किया गया है, कलक्टर को अपील कर सकेगा; और

(ख) यदि आदेश कलक्टर द्वारा किया गया है, अपील आयुक्त को कर सकेगा।

(2) ऐसी कोई अपील ग्रहण नहीं की जा सकेगी, यदि उस आदेश की प्राप्ति की तारीख से तीस दिन के भीतर न की गई हो, जिसके विरूद्ध अपीलार्थी द्वारा अपील की गई है।

(3) इस खण्ड के अधीन ऐसा कोई आदेश पारित नहीं किया जाएगा, जो किसी भी व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव डालता हो, जब कि ऐसे व्यक्ति को सुनवाई के लिए एक युक्तियुक्त अवसर प्रदान न किया गया होगा।

---

1. एस.ओ. 163 दि. 28.02.1981 द्वारा अंतःस्थापित।
2. जी.एस.आर. 10 दि. 01.05.1982 द्वारा अंतःस्थापित।

(4) अपील का निपटारा होने तक वह प्राधिकारी, जिसको अपील की गई है, यह निर्देश दे सकेगा कि वह आदेश, जिसके विरूद्ध अपील की गई है, प्रभावी नहीं होगा, जब तक कि अपील का निपटारा न हो जाये।

[1][22क. पुनरीक्षण–

आयुक्त या तो स्वप्रेरणा से या किसी आवेदन पर कलक्टर या इस आदेश के उपबन्धों के अधीन राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी द्वारा निर्णित किसी मामले का अभिलेख मंगा सकेगा और यदि उसका यह समाधान हो जाये कि कलक्टर या प्राधिकृत अधिकारी ने–

(क) ऐसी अधिकारिता का प्रयोग किया है, जो उसमें निहित नहीं है; या

(ख) उसमें निहित अधिकारिता का तात्विक अनियमितता से प्रयोग किया है; या

(ग) उसमें निहित अधिकारिता का प्रयोग करने में अनुचित रूप से चूक की है; तो वह ऐसे आदेश पारित कर सकेगा, जो वह ठीक समझे।]

23. शक्तियों का प्रत्यायोजन–

इस आदेश के अधीन कलक्टर को प्रदत्त शक्तियां, खण्ड 22 के अधीन के सिवाय, राज्य सरकार [2][x x x x] द्वारा किसी भी अन्य अधिकारी को प्रत्यायोजित की जा सकेगी।

24. परिसर के प्रवेश, निरीक्षण, तलाशी या स्टॉक अभिग्रहण, प्रश्न पूछने, दस्तावेजों के पेश करने आदि की अपेक्षा करने की शक्ति–

(1) कोई भी कार्यकारी मजिस्ट्रेट या कोई भी राजस्व अधिकारी, जो नायब तहसीलदार के रैंक से नीचे का न हो या खाद्य एवं नागरिक रसद विभाग के प्रवर्तन निरीक्षक के रैंक से नीचे का न हो, समस्त युक्तियुक्त समयों पर किसी भी राशनकार्ड या खाद्यान्नों एवं अन्य आवश्यक पदार्थों का स्टॉक या खाद्यान्नों एवं अन्य आवश्यक पदार्थों के व्यवहार से संबंधित लेखा पुस्तकों अथवा अन्य दस्तावेजों का निरीक्षण कर सकेगा और ऐसे निरीक्षण के प्रयोजनार्थ–

क. किसी भी परिसर में प्रवेश कर सकेगाः

परन्तु यह कि प्रविष्टि की शक्तियों का प्रयोग करते हुए, ऐसे अधिकारी या व्यक्ति द्वारा परिसर के अधिभोगियों की सामाजिक एवं धार्मिक रूढियों का सम्यक् रूप से ध्यान रखा जाएगा;

ख. किसी भी व्यक्ति से समस्त आवश्यक प्रश्न पूछ सकेगा;

ग. किसी भी दस्तावेज को पेश करने की तथा ऐसे दस्तावेजों से उद्धरण या उनको प्रतिलिपियाँ लेने अथवा दिलाने की अपेक्षा कर सकेगा; और

घ. परिसर में प्राप्त खाद्यान्नों और अन्य आवश्यक पदार्थों का भार या माप ले तथा लिवा सकेगा।

(2) प्रत्येक व्यक्ति, जब खण्ड (1) के अधीन ऐसे अधिकारी द्वारा इस प्रकार अपेक्षित हो, परिसर में पहुंच को अनुज्ञात (allow) करेगा, अपनी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार समस्त प्रश्नों का उत्तर देगा, अपने कब्जे के दस्तावेजों को पेश करेगा और ऐसे किन्हीं भी दस्तावेजों से उद्धरण या उनकी प्रतिलिपियाँ लेने अथवा परिसर में पाये गये खाद्यान्नों का भार तोलने या माप करने की अनुज्ञा देगा।

---

1. जी.एस.आर. 10 दि. 01.05.1982 द्वारा अंतःस्थापित।
2. एस.ओ. 155 दि. 31.12.1981 द्वारा शब्द ''या कलक्टर'' विलोपित।

(3) ऐसा अधिकारी ऐसे निरीक्षण के दौरान किसी भी पदार्थ के लिए तलाशी और उसका अभिग्रहण कर सकेगा, जिसके संबंध में उसके यह विश्वास करने का कारण हो कि इस आदेश द्वारा या इसके अनुसरण में किये गये किसी भी उपबन्ध का उल्लंघन किया गया है या किया जा रहा है।

(4) दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का केन्द्रीय अधिनियम 2) की धारा 100 के तलाशी [1][x x x x] अभिग्रहण से संबंधित उपबन्ध, जहां तक हो सके, इस खण्ड के अधीन तलाशियों और अभिग्रहणों पर लागू होगें।

टिप्पणी

अधि. एस.ओ. 238 दिनांक 06.01.1997 से खण्ड 23 व 24 के अन्तर्गत खाद्य विभाग मुख्यालय, जयपुर पर पदस्थापित जिला रसद अधिकारी, अतिरिक्त जिला रसद अधिकारी, प्रवर्तन अधिकारी एवं प्रवर्तन निरीक्षक को सम्पूर्ण राज्य हेतु खण्ड 24 की शक्तियाँ का प्रयोग करते हुए अधिकृत किया है।

25. छूट देने की शक्ति–

राज्य सरकार राज–पत्र में अधिसूचित आदेश किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग को ऐसी शर्त, यदि कोई हो, जिसे अधिरोपित करना वह उचित समझे, के अध्यधीन रहते हुए, इस आदेश के समस्त या किन्हीं भी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी और इस रीति से किसी भी समय ऐसी छूट को निलम्बित या विखण्डित कर सकेगी।

टिप्पणी

(1) अधिसूचना एस.ओ. 111 दिनांक 28.09.1989 से जांच के दौरान बतौर सबूत जब्तशुदा राशनकार्ड की एवज में जारी राशनकार्ड को खण्ड 16 के तहत विहित फीस से मुक्त किया गया है।

(2) कतिपय मामलों में राज्य सरकार द्वारा उचित मूल्य दुकान के कारबार के लिए खण्ड3 (1) के परन्तुक से कुछ निर्वाचित प्रतिनिधियों को निर्वाचित काल के लिए प्राधिकार पत्र धारण हेतु छूट प्रदान की गयी थी किन्तु फरवरी 2012 तक सभी छूट को विखंडित कर दिया गया है।

(3) अधि. एस.ओ. 447 दिनांक 15.02.2003 से आर.टी.ए. अनुज्ञापत्र के तहत 03.08.2002 से पूर्व कार्यरत पीडीएस के अन्तर्गत नीले केरोसीन के डीलर्स को प्राधिकार पत्र जारी करने के निर्देश दिए है।

26. अनुज्ञप्ति से छूट–

राज्य सरकार द्वारा खाद्यान्नों और अन्य आवश्यक वस्तुओं के सम्बन्ध में जारी किये गये विभिन्न अनुज्ञापन आदेशों के उपबन्ध ऐसे किसी व्यक्ति पर लागू नही होंगे,जिसे इस आदेश के अधीन प्राधिकार जारी किया गया है।

27. निरसन एवं व्यावृत्ति–

राजस्थान अनुसूचित खाद्यान्न (वितरण का विनियमन) आदेश, 1966 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है:

परन्तु यह कि ऐसा निरसन इस प्रकार निरसित इस आदेश के अधीन की गई या किए जाने के लिए लोपित किसी भी कार्यवाही को प्रभावित नहीं करेगा।

1. एस.ओ. 163 दि. 28.02.1981 द्वारा विलोपित।

अनुसूची–I

(देखिये खण्ड 2 (i))

1. गेहूँ (आयातित और देशी)
2. जौ
3. चना
4. ज्वार
5. बाजरा
6. मक्का
7. चावल

[1][अनुसूची–II

1. चीनी
2. मिट्टी का तेल
3. खाद्य तेल
4. दालें
5. मसाले
6. माचिसें
7. चाय
8. टायर एवं ट्यूब
9. ब्लेड
10. साबुन
11. रोशनी देने वाले सामान्य लैम्प
12. अभ्यास पुस्तिकायें
13. सूती कपड़े]

टिप्पणी

अनुसूची-2 के प्रतिस्थापन से पहले केवल दो वस्तुएँ लेवी चीनी और केरोसीन तेल ही अनुसूची-2 में सम्मिलित थे, संशोधन आदेश दिनांक 04.08.1979 के द्वारा 11 मद और जोड़े गये। राज्य में उचित मूल्य दुकानों को आम उपभोक्ताओं को दैनिक उपयोग की अच्छी गुणवत्ता की गैर पीडीएस तथा अन्य आवश्यक ब्राण्डेड वस्तुएँ उचित एवँ प्रतिस्पर्द्धात्मिक दरों पर उपलब्ध कराने की दृष्टि से राज्य सरकार द्वारा खंड–20 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उचित मूल्य दुकानदारों को प्राधिकार पत्र की शर्त संख्या (4) के तहत अन्य आवश्यक वस्तुओं को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा आपूर्ति करने वाली वस्तुओं के अतिरिक्त आदेश के खंड -2 एवं (II) में अंकित अन्य वस्तुओं के समरूप वस्तुओं (गेहूँ, जौ, चीनी, मिट्टी का तेल और टायर ट्यूब के अतिरिक्त) को स्टॉक में रखने एवं विक्रय करने की राज्य सरकार द्वारा आदेश क्रमांक एफ. 17(9) खा.वि./न्याय/2000 दिनांक 24.09.2014 द्वारा अनुमति प्रदान की गयी है। यद्यपि इन उपभोक्ता वस्तुओं की बिक्री का राशनकार्ड में इन्द्राज करना आवश्यक नहीं होगा।

---

1. एस.ओ. 77 दि. 04.08.1979 द्वारा प्रतिस्थापित।

प्ररूप 'क'

(खण्ड 3 (3) देखिये)

प्राधिकृत थोक विक्रेता या प्राधिकृत उचित कीमत दुकानदार के लिये प्राधिकार हेतु आवेदन

1. आवेदक का नाम- (पिता के नाम सहित)।
2. आवेदक का पता।
3. फर्म/कम्पनी/सहकारी भण्डार का नाम। [1][कोई अन्य संस्था]
4. स्वत्वधारी/भागीदार/प्रबन्ध निदेशक/अध्यक्ष का नाम-
   1.
   2.
5. निम्नलिखित की पूर्ण विशिष्टियाँ-
   1. मुख्य कार्यालय
   2. कारबार परिसर
   3. गोदाम
6. क्या आवेदक पहले ही खाद्यान्नों एवं अन्य आवश्यक पदार्थों का व्यापार कर रहा है। ऐसा है, तो किस हैसियत में?
7. खाद्यान्नों एवं आवश्यक पदार्थों के प्रदाय के वर्तमान स्रोत।
8. आवेदन की तारीख को धारित खाद्यान्नों एवं अन्य आवश्यक पदार्थों का स्टॉक और वे स्थान जहां इनका भण्डारकरण किया गया है।
9. उपर्युक्त 5 पर वर्णित परिसरों/गोदामों में आवेदक द्वारा चलाया जा रहा अन्य कारबार।
10. क्या ऊपर वर्णित परिसरों में आवेदक खाद्य एवं नागरिक रसद विभाग द्वारा जारी की गई कोई अन्य अनुज्ञप्ति धारित करता है? यदि ऐसा है, तो उसका पूर्ण विवरण दें।
11. क्या आवेदक को भूतकाल में आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अधीन किसी भी अपराध के लिये सिद्धदोष ठहराया गया है? यदि ऐसा है, तो उसका ब्यौरा।
12. क्या आवेदक के कब्जे में पर्याप्त वित्तीय स्त्रोत है, विशेषतः खाद्यान्नों एवं अन्य आवश्यक वस्तुओं का कारबार करने हेतु।

मैं/हम घोषणा करते हैं कि मेरी/हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार उपर्युक्त विशिष्टियाँ सही हैं और इसमें कुछ भी छिपाया नहीं गया है।

मैने/हमने राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश, 1976 के उपबन्धों को सावधानीपूर्वक पढ़ लिया है और मैं/हम उस आदेश के उपबन्धों तथा समय-समय पर तदधीन जारी निर्देशों का पालन करूँगा/करेगें।

तारीख.......................... आवेदक के हस्ताक्षर

प्रेषिति,

....

....

1. एस.ओ. 163 दि. 28.02.1981 द्वारा अंतःस्थापित।

प्ररूप 'ख'

(खण्ड 3 (4) देखिये)

राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश, 1976

प्राधिकृत थोक विक्रेता/प्राधिकृत उचित कीमत दुकानदार के रूप में खाद्यान्नों एवं अन्य आवश्यक पदार्थों के क्रय, विक्रय के लिए भण्डारकरण के लिए प्राधिकार।

प्राधिकार संख्या ....

राजस्थान खाद्यान्न एवं आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश, 1976 के उपबन्धों एवं नीचे दी गई शर्तों के अध्यधीन रहते हुए .... को एतदद्वारा नीचे विनिर्दिष्ट स्थान, परिसरों/गोदामों पर प्राधिकृत थोक विक्रेता/प्राधिकृत उचित कीमत दुकानदार के रूप में प्राधिकृत किया जाता है/किये जाते हैं।

(i) कारबार परिसर

(ii) वितरण के प्रयोजनार्थ आवंटित क्षेत्र

(iii) गोदामों की विशिष्टियां

1. ....

2. ....

निबन्धन एवं शर्तें

सामान्य

1. कोई भी प्राधिकार धारक कलक्टर की लिखित में पूर्व अनुज्ञा के बिना इस प्राधिकार में विनिर्दिष्ट स्थानों के अतिरिक्त किसी भी अन्य स्थान पर खाद्यान्नों एवं अन्य आवश्यक वस्तुओं का भण्डारकरण नहीं करेगा।
2. कोई भी प्राधिकार धारक कारबार के समय के दौरान उसे विधिमान्य अनुज्ञापत्र/मांग-पत्र/राशनकार्ड प्रस्तुत करने पर अनुज्ञा-पत्र/मांग-पत्र/राशनकार्ड खाद्यान्नों या अन्य आवश्यक पदार्थों पर की बकाया सीमा तक खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ का विक्रय करने से इन्कार नहीं करेगा।
3. कोई भी प्राधिकार धारक खाद्यान्नों का विक्रय, उस कीमत से अधिक कीमत पर नहीं करेगा, जो राज्य सरकार या कलक्टर द्वारा नियत की गई है या किन्हीं भी अन्य आवश्यक पदार्थों का विक्रय उस कीमत से अधिक कीमत पर नहीं करेगा, जो केन्द्र सरकार या राज्य सरकार या ऐसी सरकार के किसी भी प्राधिकारी या अधिकारी या विनिर्माता, यथास्थिति द्वारा इस निमित्त नियत की जायें।
4. कोई भी प्राधिकार धारक खाद्यान्नों एवं अन्य आवश्यक वस्तुओं के समरूप किन्हीं भी वस्तुओं का विक्रय या विक्रय के लिए स्टॉक का धारण, राज्य सरकार या कलक्टर की अनुज्ञा के सिवाय नहीं करेगा।
5. प्राधिकार धारक प्ररूप 'ग' में एक स्टॉक रजिस्टर रखेगा, जिसमें प्रत्येक खाद्यान्न और अन्य आवश्यक वस्तुओं की प्रतिदिन होने वाली प्राप्ति और विक्रय को सही-सही रूप में दिखाया जायेगा। अधिकृत थोक विक्रेता द्वारा प्ररूप 'घ' में और प्राधिकृत उचित कीमत दुकानदार द्वारा प्ररूप 'ङ' में भी एक दैनिक विक्रय रजिस्टर रखा जायेगा। अनुज्ञप्तियाँ, वाऊचर आदि लेखे संबंधी समस्त पुस्तकें प्राधिकार में विनिर्दिष्ट कारबार स्थान पर रखीं जायेगी और आवश्यकता पडने पर उन्हें निरीक्षण के लिए उपलब्ध करना होगा।

6. प्रत्येक प्राधिकार धारक प्ररूप 'च' में स्टॉक और विक्रय की सही मासिक विवरणी कलक्टर को भेजेगा, जो जिस माह से वह संबंधित है, उसके समाप्त होने के पश्चात् पांच दिन के भीतर उसके पास पहुंच जाये।

7. प्रत्येक प्राधिकार धारक अपने कारबार संबंधी ऐसी कोई सूचना, जो कलक्टर उससे मांगे, सही-सही रूप में प्रस्तुत करेगा।

[1][8. प्राधिकार धारक उचित कीमत की दुकान के मार्फत वितरण किये जाने वाले खाद्यान्नों और अन्य आवश्यक वस्तुओं की कीमत की सुपाठ्य रूप से हिन्दी में लिखी हुई एक सूची तथा स्टॉक प्ररूप 'ज' में अपने कारबार परिसर के किसी एक ऐसे सहज दृश्य स्थान पर प्रदर्शित करेगा, जो कार्ड धारकों को आसानी से दिखाई दे सकें।]

9. प्रत्येक प्राधिकार धारक कलक्टर द्वारा नियत कारबार के घण्टों का कडाई से पालन करेगा और अपनी दुकान, स्थान या कारबार को ऐसे घण्टों के दौरान ठीक समय पर और नियमित रूप से खोलेगा।

10. प्रत्येक प्राधिकार धारक खाद्यान्नों और अन्य आवश्यक वस्तुओं के विक्रय/भण्डारकरण के लिये उपयोग में लाये जाने वाले किसी स्थान या परिसर पर अपने स्टॉक और लेखों के निरीक्षणार्थ युक्तियुक्त समय पर समस्त सुविधाएँ उपलब्ध करायेगा।

11. प्राधिकार धारक, राज्य सरकार या कलक्टर द्वारा उसे प्रदाय के स्त्रोत, कमीशन, भण्डारकरण, संचलन (movement), मूल्य निक्षेप (deposit of cost), खाली बोरियों, तोल-जोख तथा खाद्यान्नों और अन्य आवश्यक वस्तुओं की प्राप्ति, विक्रय, भण्डारकरण आदि से संबंधित मामलों के संबंध में दिये जाने वाले निर्देशों या अनुदेशों का पालन करेगा।

12. प्राधिकार धारक खाद्यान्नों और अन्य आवश्यक वस्तुओं को अच्छी हालत में रखने का जिम्मेवार होगा और किसी अन्य घटिया किस्म के साथ अपमिश्रित नहीं करेगा।

13. प्राधिकार धारक को किसी वस्तु आदेश पर कतिपय परिमाण तक खाद्यान्नों और अन्य आवश्यक वस्तुओं का किया गया कोई आवंटन उसे यह अधिकार प्रदान नहीं करेगा कि वह ऐसी मात्रा में ऐसे आवंटन को चालू रखने का दावा कर सके और कलक्टर को यह अधिकार होगा कि वह स्वविवेक से, बिना कोई कारण बताये कोई आवंटन रद्द कर सके या उसमें फेरफार कर सके तथा प्राधिकार धारक आवंटन के ऐसे रद्दकरण या उसमें फेरफार के लिये किसी नुकसानी या प्रतिकार का दावा सरकार से करने का हकदार नहीं होगा।

प्राधिकृत उचित कीमत दुकानदार के लिये विशेष शर्तें

14. प्राधिकृत उचित कीमत दुकानदार, सरकार द्वारा समय-समय पर प्रदाय किये गये खाद्यान्नों और अन्य आवश्यक वस्तुओं का विक्रय सीधे ही कलक्टर द्वारा जारी विशेष अनुज्ञप्ति धारक व्यक्तियों को तथा केवल उन उपभोक्ताओं को करेगा, जिनके राशनकार्ड उसकी दुकान पर यूनिट रजिस्टर प्ररूप 'छ' में दर्ज कर लिये गये हों।

15. प्राधिकृत उचित कीमत दुकानदार, राशनकार्ड धारक द्वारा खरीदे गये खाद्यान्नों और अन्य आवश्यक वस्तुओं की मात्रा ऐसी खरीद की तारीख के साथ राशनकार्ड में निर्धारित स्थान पर अभिलिखित करेगा।

16. कोई भी प्राधिकृत उचित कीमत दुकानदार स्वयं के राशनकार्ड के अलावा अन्य किसी व्यक्ति का राशनकार्ड अपने कब्जे में नहीं रखेगा, उस समय के सिवाय, जबकि राशनकार्ड खाद्यान्नों और अन्य आवश्यक वस्तुओं के सुविधापूर्वक वितरण के लिये किसी दिये गये समय पर दुकान पर वास्तव में उपस्थित व्यक्तियों से सम्यक् रूप से एकत्रित किये जायें।

---

1. एस.ओ. 51 दि. 26.04.2000 द्वारा प्रतिस्थापित।

17. कोई भी प्राधिकृत उचित कीमत दुकानदार–
    (क) किसी को भी जाली या अप्राधिकृत राशनकार्ड तैयार करने या प्राप्त करने में सहायक नहीं होगा, या
    (ख) किसी भी जाली या अप्राधिकृत राशनकार्ड का उपयोग नहीं करेगा या उसे प्राप्त नहीं करेगा, या
    (ग) अभिलेखों में झूठी प्रविष्टियाँ करके कोई खाद्यान्न या आवश्यक वस्तुयें नहीं उठायेगा या प्राप्त नहीं करेगा।

[1][18. कोई भी प्राधिकार धारक सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियन्त्रण) आदेश, 2001 में उपबंधित उचित कीमत दुकानदार के कर्त्तव्यों एवं उत्तरदायित्वों से संबंधित उपबन्धों का उल्लंघन नहीं करेगा। यह उसके कर्त्तव्य में सम्मिलित होगा कि उचित मूल्य की दुकान के कार्यकरण के बारे में उक्त आदेश से उपाद्ध प्ररूप 'क' में रिपोर्ट प्रस्तुत करें, ताकि वह संबंधित जिला रसद अधिकारी को प्रत्येक माह की 7 तारीख तक प्राप्त हो जायें।

तारीख .... जारी करने वाले प्राधिकारी
स्थान .... के हस्ताक्षर व पदनाम

प्ररूप 'ग'

(देखिये शर्त संख्या 5)

स्टॉक रजिस्टर

किस्म खाद्यान्न/अन्य आवश्यक वस्तुयें ....

तारीख	प्रारम्भिक अतिशेष	मात्रा जो प्राप्त हुई	प्रदाय का स्त्रोत	अनुज्ञप्ति का निर्देश संख्या और दिनांक	योग (2+3)	विक्रय	छीजत	अन्य अतिशेष	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

प्ररूप 'घ'

(देखिये शर्त संख्या 5)

प्राधिकृत थोक विक्रेता के लिये विक्रय रजिस्टर

क्र.स.	तारीख	बिल/कैश मीमो संख्या	क्रेता का नाम और पता	क्रय प्राधिकार की संख्या, यदि हो	अनुज्ञप्ति का प्रसंग संख्या और दिनांक	प्रदत्त मात्रा				टिप्पणी
						लेवी चीनी	गेहूँ	केरोसीन तेल	अन्य	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

प्ररूप 'ङ'

(देखिये शर्त संख्या 5)

प्राधिकृत उचित कीमत दुकानदार के लिये विक्रय रजिस्टर

क्र.स.	तारीख	राशनकार्ड या अनुज्ञेप्त संख्या	यूनिट रजिस्टर में दर्ज संख्या	राशनकार्ड धारक का नाम	यूनिट	दी गई मात्रा	मूल्य जो वसूल किया गया	प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर
1	2	3	4	5	6	7	8	9

1. एस.ओ. 209 दि. 29.09.2001 द्वारा अंतःस्थापित।

प्ररूप 'च'

(देखिये शर्त संख्या 6)

खाद्यान्नों और अन्य आवश्यक वस्तुओं का स्टॉक, प्राप्तियाँ और विक्रय उपदर्शित करने वाली विवरणी

प्राधिकार धारक का नाम...................... प्राधिकार संख्या ....

ग्राम/वार्ड .... तहसील/शहर ....

माह ....

क्र.स.	किस्म खाद्यान्न/आवश्यक वस्तुएँ	प्रारम्भिक अतिशेष	प्राप्तियाँ	योग (3+4)	विक्रय	छीजत	अतिशेष	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	गेहूँ							
2	लेवी चीनी							
3								
4								

स्थानः .... हस्ताक्षर

तारीख................... प्राधिकृत थोक विक्रेता/उचित दुकानदार

प्ररूप 'छ'

(देखिये शर्त संख्या 14)

यूनिट रजिस्टर

क्र.स.	दर्ज करने की तारीख	राशनकार्ड का नम्बर	राशनकार्ड जारी करने की तारीख	राशनकार्ड धारक का नाम	यूनिटें			राशनकार्ड में बढ़ाई गई यूनिटें मय तारीख	घटाई गई यूनिटें मय तारीख	टिप्पणी
					वयस्क	बच्चे	योग			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

प्ररूप 'ज'

(प्ररूप ख की शर्त संख्या 8)

तारीख..................

1. प्राधिकार धारक का नामः
2. वार्ड सं./दुकान सं.ः
3. दुकान खुलने का समयः
4. सतर्कता समिति के सदस्यों के नामः

   1. ....
   2. ....

5. खाद्यान्नों एवं अन्य आवश्यक वस्तुओं का ब्यौराः

क्र.स.	वितरण किये जाने वाले खाद्यान्नों एवं आवश्यक वस्तुओं के नाम	कीमत	वितरण का मापमान	दिवस के प्रारम्भ पर खाद्यान्नों एवं आवश्यक वस्तुओं का स्टॉक
1				
2				
3				

• • •

महत्वपूर्ण निर्णयसार

(1) मात्र एक दिन एफ.पी.एस. बंद पाये जाने पर लाइसेंस रद्द किये जाने का प्रभाव–

बिहार व्यापारिक वस्तुएं (लाइसेंस एकीकरण) आदेश, 1984 – खण्ड 11 व 30 – दिनांक 17.05.1995 को ए.डी.एस.ओ. ने उचित मूल्य दुकान की जांच की और उचित मूल्य दुकान बंद पायी गयी। दुकान एक दिन बंद रखे जाने पर लाइसेंस रद्द किया जाना कठोर व मनमाना है और ऐसा कायम नहीं रखा जा सकता है। यदि ये वह मामला होता जिसमे याचिकाकर्ता द्वारा आदतन बंद रखे जाने के कारण उपभोक्ताओं को कष्ट होता, तो उसका लाइसेंस रद्द करने का विवादग्रस्त आदेश को उचित ठहराया जा सकता था। याचिका को अनुमति दी।

[Sanjay Kumar vs. State of Bihar & Others-1997 (1) EFR 160]

(2) अधिनियम की धारा 6क की कार्यवाही आरंभ होने पर लाइसेंस रद्द किये जाने का प्रभाव–

आंध्रप्रदेश अनुसूचित वस्तुएं (कार्ड प्रणाली द्वारा वितरण) आदेश, 1973 – खंड 3(4) – आ. व. अधिनियम 1955, खंड 6क अधिनियम की धारा 6क के तहत कार्यवाही, नियंत्रण आदेश के तहत कार्यवाही से पूर्णतया अलग हैं और केवल यह तथ्य कि अधिनियम की धारा 6 के अंतर्गत कार्यवाही आरंभ हो गई है, उचित मूल्य की दुकान के प्राधिकार का स्वत: निलंबन या रद्दकारण का निष्कर्ष नहीं होता है। आंध्रप्रदेश अनुसूचित वस्तुएं (कार्ड प्रणाली द्वारा वितरण) आदेश, 1973 या अन्य नियंत्रण आदेश के तहत शक्तियों का प्रयोग करने वाले सक्षम प्राधिकारी को, अधिनियम की धारा 6क की कार्यवाही आरंभ होने से प्रभावित हुए बिना, डीलर के विरुद्ध लगाये गए आरोपों पर स्वतंत्र रूप से उसके मस्तिष्क का प्रयोग करना चाहिए और स्वयं निर्णय करना चाहिए।

[Mohd. Saleem vs. Rev. Div. Officer Bodhan & Others -1994(2) EFR287]

(3) लोक सेवक के रूप में चुनाव होने पर प्रतिभूति राशि का समपहरण – प्रभाव

उत्तर प्रदेश अनुसूचित वस्तुएं (वितरण का विनियमन) आदेश, 1990 - खंड 4 व 5 - प्रतिभूति राशि तभी समपहरित की जा सकती है जबकि किसी मामले में प्राधिकार पत्र धारक ने कोई अपराध किया हो या अनुबंध की किसी शर्त का उल्लंघन किया हो। याचिकाकर्ता या उसके उसके परिवार के किसी सदस्य का प्रधान या उपप्रधान के रुप में चुनाव, न तो कोई अपराध है न ही यह अनुबंध के किसी नियम या शर्त का उल्लंघन है – यह उचित मूल्य की दुकान के लाइसेंस धारण करने के लिए मात्र एक अयोग्यता है। मात्र चुनाव के आधार पर प्रतिभूति राशि का समपहरणअनुचित है।

[Ram Murat vs. Commissioner Azamgarh of others-AIR 2006 (NOC) 1261 (All.)]